उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या– 4099 /सेक–2–पॉच–10
लखनऊ : दिनॉक 04 नवम्बर, 2009

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

विभागीय वेबसाईट को अपडेट किए जाने के संबंध में आर0टी0आई0 से संबंधित बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने विषयक विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्र दिनांक 04.11.10 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त पत्र द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है:–

1. उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
2. जिला चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अधीन समस्त चिकित्सक कार्य करते हैं। जिला चिकित्सालय में कार्यरत लिपिक वर्गीय स्टाफ पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का नियंत्रण होता है।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मण्डलीय अपर निदेशक/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक, निदेशक एवं महानिदेशक।
4. चौबीसों घण्टे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
5. चिकित्सकों पर लागू सेवा नियमावली की प्रति संलग्न है।
6. लेवल–4 एवं उसके ऊपर के समस्त चिकित्सकों की चरित्र पंजिकाओं का रख रखाव शासन स्तर से होता है।
7. सेवा नियमावली के द्वारा चिकित्सकों की सेवाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। चिकित्सा सेवा संघ की मांग के अनुसार समय–समय पर उसमें संशोधन किया जा सकता है।
8. माह में एक बार जनपदों में स्वास्थ्य मेला के माध्यम से आम लोगों को चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के सभाकक्ष में समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का विवरण कम्प्यूटर सेल को उपलब्ध करा दिया गया है।

बिन्दु संख्या–10 से 16 से चिकित्सा अनुभाग–2 से संबंधित नहीं है। कृपया उक्त सूचना कम्प्यूटर सेल को प्रेषित कर दी जाय।

(विजय बहादुर वर्मा)
अनुभाग अधिकारी।